JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.JLPER.com

Published by iSaRa Solutions

आदिवासी आंदोलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

(सिलेगर घटना क्रम के विशेष संदर्भ में)

डॉ. जागृति साहू

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जोरा रायपुर

भौगोलिक परिचयः– छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित सुकमा जिले का कुल क्षेत्रफल 5897 वर्ग.कि.मी. है। इसकी सीमा दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा आन्ध्र प्रदेश से लगी हुई है।

सुकमा विविध प्रकार की विषमताओं का प्रतीक है। इस जिले को 16 जनवरी 2012 को दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया था। सुकमा जिले की कुल जनसंस्था 2011 की जनगणना के अनुसार 2,70,821 है। प्रशासनिक दृष्टि से सुकमा में 03 विकास खंड तथा 04 तहसील है। तथा ग्राम पंचायतों की संस्था 146 हैं। सुकमा छ०ग० की राजधानी रायपुर से लगभग 400 कि.मी. दूर नेशनल हाईवे 30 पर स्थित है।

सुकमा जिला 1952 में बस्तर का एक उपतहसील था, जिसे 1956 में तहसील बना दिया गया, इसके पश्चात् सुकमा तहसील का विभाजन करके 1960 में कोंटा तहसील का गठन किया गया।

1998 में बस्तर से अलग करके दंतेवाड़ा को जिला बनाया गया, तो सुकमा दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत् आ गया, उसके 14 वर्ष के पश्चात् 2012 में सुकमा एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया। आदिवासी बहुल इस जिले में राज्य का सर्वाधिक टिन अयस्क पाया जाता है।

आदिवासी आंदोलनः– किसी भी क्षेत्र अथवा समुदाय में आंदोलन तभी पैदा होता है, जब वहाँ के लोग वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो और उसमें परिवर्तन चाहते हैं कई बार आंदोलन किसी परिवर्तन का विरोध करने के लिये भी किया जाता है। सामान्यतः आंदोलनों के पीछे कोई ना कोई विचारधारा अवश्य होती है तथा प्रारंभ में आंदोलन असंगठित रूप में होता है। धीरे–धीरे उसमें व्यवस्था तथा संगठन पैदा होता है।

छत्तीसगढ़ में विभिन्न आदिवासी आंदोलन हुए है जिनके कारणों की विवेचना करते हुए कहा जा सकता है कि जनजाति, निर्धनता, अज्ञानता, तथा विभिन्न प्रकार के शोषण से ग्रस्त है। इसके पश्चात् भी वे लोग अपने जीवन के तौर–तरीको, मूल्यों और परंपराओं को बनाये रखना चाहते है। आदिवासियों द्वारा कई बार प्रशासनिक परिवर्तन तथा सुधारों का विरोध किया जाना भी उनके आंदोलन का एक मुख्य कारण है।

सिलगेर घटनाः– सुकमा जिले का सिलगेर ग्राम पंचायत जो बीजापुर जिले की सीमा पर स्थित है, वहाँ पुलिस कैम्प के खिलाफ तथा वहाँ बनायी जाने वाली चौड़ी सड़क के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ग्रामिणों पर पुलिस ने फायरिंग की जिसमें लगभग 03 आदिवासी मारे गये तथा कई अन्य घायल हो गये। इस घटना के पश्चात् आंदोलन कर रहे ग्रामिणों के बीच में कुल नकस्ली शामिल थे। 37 नकस्लियों ने पुलिस कैम्प पर हमला किया था, इस हमले की जवाबी कार्यवाही पुलिस की ओर से की गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।

उधर गाँव वालों के अनुसार कैम्प खोलनें के विरोध में लगभग 2 से 3 हजार लोग जुटे थे 17 मई 2021 को वहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज किया और गोलियाँ चलायी, इसमें 09 लोग मारे गये और 18 घायल हो गये।

नक्सली पहचान जुड़ने के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया। जो आंदोलन गाँव की जमीन पर कैम्प को लेकर शुरू हुआ था, उसमें अब निर्दोष ग्रामिणों की हत्या को लेकर लोग क्रोधित थे, स्थिती इतनी विकट हो चुकी थी कि धरना जारी रखने के लिए आदिवासी ग्रामीण राशन पानी लेकर धरना स्थल पर डटे रहे। धीरे–धीरे आंदोलन में शामिल होने वाले आदिवासियों की संस्था 10 हजार तक पहुँच गई थी।

ग्रामीण आदिवासियों के विरोध का कारणः–

सिलगेर गाँव के ग्रामिणों के द्वारा C.R.P.F. कैम्प का विरोध किया जा रहा था, उनका मानना है कि C.R.P.F. कैम्प के जवान वनोपज इकट्ठा करने के लिए तथा जंगलो में उन्हें जाने के लिए बार–बार रोककर पूछताछ करते है तथा रोकते है। उनके अनुसार C.R.P.F. कैम्प लगने से उनकी समस्या और बढ़ेगी।

एक और विवाद में इस क्षेत्र में बन रही सड़क को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे है। वे नहीं चाहते कि शासन द्वारा यहाँ चौड़ी सड़क बनाया जाये। आदिवासियों का स्पष्ट कहना है कि सड़क आने से फोर्स, पुलिसबल बढ़ेगी। ग्रामिणों को माओवादियों और सुरक्षाबलों के बीच तेज संघर्ष में फंस जाने का डर रहता है।

निश्चित ही इस विरोध के पीछे भोले–भाले आदिवासियों की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छुपी हुई है। सदियों से जिस जल, जंगल, जमीन की रक्षा करते हुए उनका जीवन व्यतित हो रहा है, वहीं उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ऐसा प्रतित होता है कि आदिवासियों के विरोध का कारण C.R.P.F. कैम्प लगना नहीं बल्कि वास्तविक कारण जंगलों में उनके जाने पर रोक–टोक तथा विभिन्न संदेहास्पद सवाल है जो पुलिस के द्वारा किया जाता है। आदिवासी इन सबसे बचना चाहते है।

सड़क का रणनीतिक महत्वः–

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सिलगेर में बन रहीं सड़क तर्रेम गाँव से होते हुए जगरगुंडा तक जायेगी। पक्की सड़को पर पुलिस का मूवमेंट तेजी से हो सकता है, और नक्सलियों पर निगरानी रखना आसान होता है। पक्की सड़को में माओवादियों, के लिये बारूदी, सुरंग बिछाना कठिन भी होता है। इसलिये पक्की सड़कों का निर्माण आवश्यक है।

बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क का निर्माण निश्चित ही माओवादियों के लिये परेशानी बढ़ती है, इसलिये वे हर हाल में इस काम को रोकते है। अतः सिलगेर विरोध के पीछे माओवादियों के समर्थन से इनकार नहीं किया जा सकता अथवा कह सकते है कि ग्रामिणों की आड़ लेकर माओवादी ही पक्की सड़को के निर्माण में बाधा डालते है। माओवादी अक्सर अपने प्रभाव क्षेत्र में जाने वाली सड़को को नष्ट कर देते है, ताकि पुलिस बल उन तक आसानी से न पहुँच सके।

निष्कर्षः– छत्तीसगढ़ में हुए विभिन्न आदिवासी आंदोलन में विविधता होते हुए भी एक मुख्य समानता हमें यह दिखाई देती है कि आदिवासी बाहरी हस्तक्षेप को अभी भी आसानी से स्वीकार नहीं पा रहे है, तथा वे अपनी अस्मिता की पहचान बचाने के लिये समय–समय पर विरोध प्रदर्शन करते आ रहे है। सिलगेर में C.R.P.F. कैम्प को हटाने के लिए किये गये आंदोलन के दौरान गोलीबारी में मारे गये आदिवासियों को न्याय दिलाने की मांग के लिये आंदोलन छः महीने से जारी है। इस क्षेत्र में ग्रामीण प्रतिदिन अपनी माँगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे है। सिलगेर का आंदोलन C.R.P.F. कैम्प लगाने तथा चौड़ी सड़क बनाने के विरोध में है, इस आंदोलन का वास्तविक कारण भी आदिवासियों का बाहरी दुनिया से पूरी तरह नहीं जुड़ पाना है।

सदियों से उनका जीवन प्रकृति के करीब रहा है। अतः प्रयास किया जाना चाहिये कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले आदिवासियों की मनः स्थिति के अनुसार उन्हें किये जाने वाले परिवर्तन तथा विकास कार्यो में सम्मिलित किया जाये। जिससे विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आदिवासियों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा।

संदर्भ सूचीः–

1. पं. केदारनाथ ठाकुर – ''बस्तर भूषण''
2. रानू आहूजा – ''सामाजिक समस्याएँ''

3. लाला जगदलपुरी – ''बस्तर का इतिहास एवं संस्कृति''

4. amp.dw.com

5. दैनिक भास्कर (छत्तीसगढ़)

6. दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच डॉट कॉम

JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH